तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में आवेदक द्वारा एक मूल अपील क्रमांक 6/2015 दिंनाक 31–08–2015 को पेश की, जो इस न्यायालय में दिनांक 2–9–2015 को पंजीकृत होकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये गये। पश्चातवर्ती कार्यवाही में दिनांक 22–9–2015 को वकील अपीलान्ट की उपस्थिति में आदेश–1, नियम–10 जाब्ता दिवानी का आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्रावली में दिनांक 6–10–2015 की तारीख तय की गई। नियत तिथि को अपीलान्ट/प्रार्थी की अनुपस्थिति के कारण अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई।

दिनांक 6–10–2015 को खारीज हई उक्त अपील की बाजदायरी का आवेदन क्रमांक 2/2016 अपीलान्ट द्वारा दिनांक 11–1–2016 को पेश किया तथा उक्त आवेदन में भी अपीलान्ट/आवेदक को दिनांक 1–6–2016 को रेस्पोन्डेन्ट के सम्मन तीन दिन में पेश करने के आदेश दिये गये तथा आगामी तारीख 5–7–2016 तय की गई। दिनांक 5–7–2016 को पुनः अपीलान्ट व अभिभाषक की अनुपस्थित रहने के कारण आवेदन अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया।

उक्त बाजदायरी आवेदन के दिनांक 5–7–2016 को खारिज हो जाने पर बाजदायरी की बाजदायरी/रेस्टोरेशन आवेदन 28–7–2016 को पेश हुआ तथा नियत दिनांक 18–1–2017 को पुनः उक्त रेस्टोरेशन का रेस्टोरेशन भी अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया। दिनांक 18–1–2017 को खारिज आवेदन के बाजदायरी के लिए दिनांक 22–1–2018 को पुनः आवेदन प्रस्तुत हुआ, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। आवेदन की बहस सुनी गई। समग्र प्रकरण की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	प्रकृति	प्रस्तुति दिनांक	निर्णय		मयाद स्थिति
				दिनांक	कारण	
1	2	3	4	5	6	7
1	6/15	मूल अपील विरूद्ध रूपां. आदेश दि. 16–4–13	31.8.15	6.10.15	अदम तामिल अदम पैरवी	मूल अपील करीब 2 वर्ष विलंब से
2	2/16	बाजदायरी	11.1.16	5.7.16	अदम तामिल अदम पैरवी	एक माह मयाद करीब 2 माह विलम्ब
3	8/16	बाजदायरी	28.7.16	18.1.17	अदम तामिल अदम पैरवी	मयाद में (30 दिन में)
4	1/18	बजदायरी	22.1.18	निर्णयाधीन	निर्णयाधीन	मयाद एक माह 11 माह विलम्ब

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अीलान्ट

द्वारा मूल अपील करीब 2 वर्ष विलम्ब से पेश की गई थी तथा उक्त अपील अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज होने के बाद बाजदायरी 2 माह बाद, इसके अदम हाजरी में खारिज होने पर मयाद में पुनः बाजदायरी तथा इसके पुनः अदम हाजरी में खारिज होने पर 11 माह विलम्ब से बादजदायरी/रेस्पोन्डेन्ट पेश किया है।

न्यायालयों का कार्य न्याय प्राप्ति की मंशा रखने वाले पक्षकारों के लिए न्याय किया जाना है। इस प्रकार के उपरोक्त वर्णित अनुसार अरूचि, निष्क्रीय व लापरवाह पक्षकारों के लिए न्यायालय कभी भी न्याय नहीं कर सकता। प्रकरण में मूल अपील की खारजी के बाद दूबारा बाजदायरी खारिज होने के बाद ग्यारह माह विलम्ब से पेश शुदा उक्त बाजदायरी को स्वीकार किये जाने के लिए न्यायालय के पास उचित या पर्याप्त के स्थान पर खोज करने पर भी कोई कारण सम्पूर्ण विवेक उपयोग उपरान्त भी कोई कारण दृष्टिगोचर नहीं होता। यह उपयुक्त प्रकरण है कि न्यायालय के महत्वपूर्ण समय के साथ पक्षकार द्वारा की जा रही अनावश्यक वादकरण पर भारी जुर्माना लगाया जाये। फिर भी न्यायहित में न्यायालय अपीलान्ट/प्रार्थी को भविष्य में इस प्रकार के अनावश्यक वादकरण नहीं करने की चेतावनी देते हुए बाजदायरी आवेदन खारिज किया जाता है।

बाजदायरी प्रार्थना पत्र नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. ....मुकाम ....**उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0............. उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........27.............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... .
.... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा....... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....**उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य –2	**बनाम**	श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........08............. माह ....07.......... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री ....

.... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .... 6. स्टाम्प वकालत नामा....... 7. इजराय हुक्मनामा .... 8. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।